न्यायालय जिला कलेक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र/12/2020

1–उदयवीर पुत्र गोपाल आयु 21 साल जाति सैनी निवासी ग्रांम अखैगढ तहसील नदवई जिला भरतपुर राज0 हाल ग्रांम महरमपुर तहसील नदवई जिला भरतपुर
2–भोला राम आयु 19 साल पुत्र गोपाल जाति सैनी निवासी ग्रांम अखैगढ़ तहसील नदवई जिला भरतपुर राज0 हाल ग्रांम महरमपुर तहसील नदवई जिला भरतपुर
3–वीनेश आयु 17 साल पुत्री गोपाल नाबालिग वरविलायत माता सोना देवी पत्नि गोपाल जाति माली निवासी ग्रांम अखैगढ़ हाल ग्रांम महरमपुर तहसील नदवई जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदवई जिला भरतपुर
2–पटवारी हल्का विष्णुकुमार हल्का पटवारी रायसीस तहसील नदवई जिला भरतपुर
3–हरीराम आयु 53 वर्ष पुत्र श्री आराजी लाल जाति ब्राहम्ण निवासी महरमपुर तहसील नदवई
4–गंगादेई पत्नि श्री देवदत्त आयु 61साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रांम गादौली तहसील नदवई
5–गोपाल आयु 48 साल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जाति माली निवासी अखैगढ हाल निवासी महरमपुर तहसील नदवई जिला भरतपुर

.....असल रेस्पो0

6– निहाली देवी वेवा बाबू (मृतक)। अकवाम माली निवासीयान अखैगढ हाल महरमपुर
7– प्रेमसिंह आयु 51साल पुत्र बाबू ।
8–केशव आयु 46 साल पुत्र बाबू । तहसील नदवई जिला भरतपुर
9–चेतराम आयु 44 साल पुत्र बाबू ।
10–लच्छो देवी आयु 50 साल पुत्र बाबू।
11–कुसुम देवी आयु 28 साल पुत्री गोपाल धर्म पत्नि ओमप्रकाश जाति सैनी निवासी सूरज़पोल गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....तरतीवी रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 243 तारीखी 28–1–2020 व 13–02–2020

उपस्थित :–
1–श्री कैलाश चन्द अग्रवाल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2– कृष्ण कुमार सिंघल अभिभाषक रेस्पो0 3व 4

निर्णय दिनांक 24.01.2024

अपीलान्टान ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई वावात नामान्तकरण संख्या 243 तारीखी 28.01.2020 व 13.02.2020 तहसील नदबई के इस आश्य की पेश की गई है जो संक्षेप में इस प्रकार है, विवादित आराजी खसरा नम्बर 45 रकवा 0.57 ऐयर व आराजी खसरा नंक0 44 रकवा 0.16 ऐयर बाके ग्रांम महरमपुर की बाबत

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपीलीान्टान की ओ से एक दीवानी वाद संख्या 68 / 2015 व प्रार्थना पत्र स्थगन संख्या 59 / 15 उदयवीर वगे वनाम हरीराम वगे पेश किये जाने पर अपीलान्टान के पक्ष में दिनांक 16.3.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा ताफैसला दावा निरस्ती बयनामात की मौके की यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया था। तहसीलदार एवं हल्का पटवारी ने उक्त आदेश पालना जानवूझकर नहीं की गई और दिनांक 28.1.2020 को पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्टान से साज करके उनको नाजायज लाभ पहुंचाने की बदनियती से स्थगन आदेश के वावजूद यह रिपोर्ट अंकित की कि वर्तमान में कोई स्थगन नहीं है। स्थगन आदेश होने के वावजूद तहसीलदार अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 243 दिनांक 13.02.2020 को स्वीकार करने के आदेश पारित कर दिये गये। जो विधि विरुद्ध होने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने एवं रिकार्ड की पूर्व स्थिति कायम किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज़ रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 एवं नामान्तकरण तलब किया गया। रेस्पो0 की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एडी से की गई। रेस्पो. संख्या 3व4 के अभिभाषक उपथित आये शेष रेस्पो. वावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी पर ए.सी.जे.एम. कोर्ट नदबई का स्थगन आदेश था। स्थगन आदेश के वावजूद हल्का पटवारी ने नामान्तकरण पर यह नोट लगाया गया कि वर्तमान में कोई स्थगन आदेश नहीं है, जव कि तहसीलदार एंव हल्का पटवारी को स्थगन आदेश की कापी दी हुई थी। तहसीलदार एवं हल्का पटवारी ने जानवूझकर स्थगन आदेश का नोट राजस्व रिकार्ड में नहीं लगाया और रेस्पो. को फायदा पहुंचाने के लिये विवादित नामान्तकरण स्वीकार कर दिया गया है जो विधि विरुद्ध है। तहत न्यायालय की यह कार्यवाही सिविल कोर्ट की अवमानाना व हवहेलना है। योग्य अभिभाषक ने अन्त में अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने तथा रिकार्ड की पूर्व स्थिति कायम किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 243 सही स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि माननीय सिविल न्यायालय नदवई का स्थगन आदेश मौके की यथास्थिति बनाये रखने का था, रिकार्ड में यथास्थिति वनाये रखने वावत कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया था। अपीलान्ट ने गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं। अपील अपीलान्टान खारिज फरमाई जावे।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 243 दिनांक 13.2.2020 का अवलोकन किया। विवादित नामान्तकरण मुताविक रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर रेस्पो. संख्या 4 गंगादेई पत्नि देवदत्त के नाम स्वीकार किया गया है, विवादित नामान्तकरण में हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्तमान में कोई स्थगन नहीं है का नोट अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका फोटो प्रति नकल आदेश विरिष्ठ सिविल न्यायाधीन नदबई के मुकदमा नम्बर 59 / 15 उदयवीर बनाम हरीराम वगे. आदेश दिनांक 16.3.2017 पर गौर किया, उक्त आदेश के अन्तिम पैरा में माननीय न्यायालय ने अंकित किया है कि :–

"……आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान ताफैसला दावा निरस्ती बयनामा की मौके की यथास्थिति कायम रखें……।"

इससे यह निर्विवाद है कि माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश मौके की यथास्थिती बनाये रखने के सम्बन्ध में है, रिकार्ड की यथास्थिति का कोई वर्णन नही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण नजर नही आता है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.1.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर